1

66

राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन.

न्यायालय – श्रीमान् आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन

जिला देवास

R-4280-II/14

संजयसिंह पिता दिलीपसिंह
उम्र : 23 वर्ष, धंधा : कृषि,
निवासी : ग्राम मोरोद हाट,
तहसील व जिला इन्दौर .... आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

प्रार्थी अभिभाषक श्री .... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 1-12-14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन
1-12-14

1. राधेश्याम पिता पर्वतसिंह
उम्र : करीबन 50 वर्ष,
निवासी : ग्राम लसुड़िया मौरी,
तहसील व जिला इन्दौर

2. म.प्र. राज्य शासन ... अनावेदकगण/रेस्पान्डेन्ट्स

पिंकीबाई पति संजयसिंह
निवासी : ग्राम मौरोद हाट,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) ..... मृतिका

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के तहत्

सदर प्रकरण में आवेदक/निगरानीकर्ता तर्फे सविनय निवेदन है कि,

1. यह कि, आवेदक द्वारा श्रीमान् एस.डी.ओ. महोदय, तहसील बागली, जिला देवास के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 44 भू राजस्व संहिता के तहत् माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय, सॉवेर द्वारा प्रकरण क्रं. 46अ-6-अ/13-14 राधेश्याम विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 17/11/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसके संलग्न धारा 52 भू राजस्व संहिता के तहत् एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार, बागली द्वारा

XI/IX(a)-BR(H)-11

(66)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4280-दो/14 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	